

संख्या.शिक्षा.कांगडा एच (2) बी (15) -01/2010-सेवादार 8868-73  
कार्यालय उप शिक्षा निदेशक उच्चतर कांगडा स्थित धर्मशाला 1

दिनांक धर्मशाला 176215

30-11-2016

सेवा में,

- 1 समस्त प्राचार्य  
राजकीय महाविधालय जिला कांगडा 1
- 2 समस्त प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक  
रा0व0मा0पा0/रा0उ0पाठशालाएं जिला कांगडा 1
- 3 समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी जिला कांगडा 1
- 4 जिला पुस्तकालय, धर्मशाला जिला कांगडा 1
- 5 हि0प्र0(स्वतन्त्र) कम्पनी एन0सी0सी0 धर्मशाला


विषय: सेवादार कर्मचारियों की 58 वर्ष सेवाकाल पूर्ण करने उपरान्त सेवानिवृति सम्बन्धि 1

ज्ञापन:

जिला कांगडा के सभी प्राचार्य, प्रधानाचार्य, खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों, मुख्याध्यापकों, जिला पुस्तकालय तथा 5 हि0प्र0(स्वतन्त्र) कम्पनी एन0सी0सी0 धर्मशाला से निवेदन है कि अपने अधीनस्थ पाठशाला व कार्यालय में कार्यरत सभी सेवादार कर्मचारियों को Govt. of Himachal Pradesh, Finance (Regulations) Department की अधिसूचना के पत्र संख्या Fin(C)A(3)-3/98 dated 10<sup>th</sup> May, 2001 की अनुपालना करते हुए जो सेवादार 10.05.2001 के उपरान्त नियमित हुए हैं, उनकी सेवानिवृति आयु 58 वर्ष होगी 1 अर्थात् 58 वर्ष आयु होने के पश्चात उनको सेवानिवृति कर दिया जाए 1

यदि किसी कारणवश सेवादार 58 वर्ष से अधिक सेवा करता है ओर सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा 58 वर्ष सेवाकाल पूर्ण करने उपरान्त कार्यभार मुक्त नहीं किया जाता है तो उसके वेतन की भरपाई सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने वेतन से करेगा 1

इसे अति आवश्यक समझे 1

  
उप शिक्षा निदेशक उच्चतर  
कांगडा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन: संख्या सम दिनांक 176215  
प्रतिलिपि:-

30-11-2016

प्रारम्भिक उप शिक्षा निदेशक कांगडा स्थित धर्मशाला को इस आशय के साथ प्रेषित है कि अपने कार्यालय में कार्यरत सेवादार कर्मचारियों को जो 10.05.2001 के उपरान्त नियमित हुए हैं को 58 वर्ष सेवाकाल पूर्ण करने उपरान्त कार्यभार मुक्त करें 1

  
उप शिक्षा निदेशक उच्चतर  
कांगडा स्थित धर्मशाला